बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या : पी॰आर॰........../2026

NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त डी०एल०एड० कोर्स संचालित संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र 2025–27 में नामांकित विद्यार्थियों का डमी पंजीयन कार्ड समिति के वेबसाइट (पोर्टल) पर जारी करने एवं उसमें परिलक्षित त्रुटि का ऑनलाइन सुधार करने के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा NCTE से मान्यता प्राप्त एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से सम्बद्धता प्राप्त सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं संबंधितों को समिति की विज्ञप्ति संख्या पी॰आर॰ 77/2026 द्वारा दिनांक 11.04.2026 से 17.04.2026 तक एवं विज्ञप्ति संख्या पी॰आर॰ 82/2026 द्वारा विस्तारित तिथि 21.04.2026 तक की अवधि में ऑनलाइन जमा किए गए पंजीयन आवेदन प्रपत्र से संबंधित **डमी पंजीयन कार्ड समिति के वेबसाइट** **https://deled.biharboardonline.org/** पर **दिनांक 25.04.2026 से 29.04.2026 तक** त्रुटि संशोधन हेतु अपलोड रहेगा।

2. उक्त अवधि में संबंधित संस्थान के प्राचार्य अपने संस्थान के विद्यार्थियों का **डमी पंजीयन कार्ड** समिति के वेबसाइट से तीन प्रतियों में डाउनलोड कर दो प्रति अपने हस्ताक्षर/मुहर के साथ संबंधित विद्यार्थी को उपलब्ध करा देंगे और तीसरी प्रति अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे।

3. प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य उन सभी विद्यार्थियों, जिनका ऑनलाइन पंजीयन आवेदन निर्धारित अवधि में भरा गया है, को यह निदेश देंगे कि वे प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा उपलब्ध कराए गए डमी पंजीयन कार्ड के विवरणों को देखकर यह आश्वस्त हो लेंगे कि उसमें अंकित किसी विवरण में कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि डमी पंजीयन कार्ड में किसी तरह की त्रुटि परिलक्षित होती है, तो विद्यार्थी के द्वारा उसे कलम से सुधार किया जाएगा। त्रुटि सुधार हेतु विद्यार्थी के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त डमी पंजीयन कार्ड को संस्थान में संधारित अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने के उपरान्त संस्थान के प्राचार्य पोर्टल पर **दिनांक 25.04.2026 से 29.04.2026 तक** की अवधि में डमी पंजीयन कार्ड के विवरण में ऑनलाइन संशोधन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4. किसी विद्यार्थी के डमी पंजीयन कार्ड में अंकित उनके नाम, माता/पिता के नाम में मात्र लघु स्पेलिंग (ie. A,E,K,M etc), जन्म तिथि, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि का सुधार ही कराया जा सकता है। विदित हो कि विद्यार्थी के नाम माता/पिता के नाम में पूर्ण परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। भविष्य में यदि यह पाया जाता है कि त्रुटि संशोधन के क्रम में किसी विद्यार्थी की पूर्ण पहचान बदल दी गई है, तो उनका पंजीयन रद्द कर दिया जाएगा एवं ऐसे विद्यार्थी डी०एल०एड० (फेस–टू–फेस) परीक्षा, 2026 हेतु आवेदन पत्र नहीं भर सकेंगे तथा तद्नुसार उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। **त्रुटि संशोधन हेतु निर्धारित अवधि के उपरांत त्रुटि सुधार से संबंधित कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही प्रशिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी।**

5. विज्ञप्ति संख्या पी॰आर॰ 77/2026 एवं पी॰आर॰ 82/2026 के क्रम में सूचित किया जाता है कि निर्धारित अवधि तक कुछ अभ्यर्थियों का पंजीयन आवेदन पत्र एवं शुल्क ऑनलाइन जमा नहीं किया गया है। वैसे विद्यार्थियों के संस्थानों के प्राचार्य **दिनांक 25.04.2026 से 28.04.2026 तक** विस्तारित की गई अवधि में लंबित शुल्क एवं ऑनलाइन आवेदन जमा करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कतिपय संस्थान द्वारा पूर्व निर्धारित अवधि में पंजीयन शुल्क जमा किया गया है, किन्तु ऑनलाइन पंजीयन आवेदन पत्र जमा नहीं किया गया है, ऐसे संबंधित संस्थान के प्राचार्य लंबित पंजीयन आवेदन पत्र **दिनांक 25.04.2026 से 29.04.2026 तक** विस्तारित अवधि में निश्चित रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

6. उक्त अवधि में लंबित पंजीयन आवेदन पत्र, लंबित शुल्कादि जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थियों का मूल पंजीयन कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा तथा ऐसे विद्यार्थियों का परीक्षा आवेदन पत्र जमा नहीं किया जा सकेगा। इसके परिणामस्वरूप यदि कोई प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित संस्थान के प्राचार्य/विद्यार्थी की होगी।

24/4/26

परीक्षा नियंत्रक (विविध),
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

24/4/26

ज्ञापांक : के॰वि॰–II / 197 / 2026, पटना, दिनांक : 24 / 04 / 2026

प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. Project Manager, Antier Solutions Pvt. Ltd. को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि निर्धारित समय के अनुसार उपर्युक्त कार्यों को सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करने का कष्ट करें।

3. सभी उप सचिव, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. शाखा प्रबंधक, HDFC Bank Limited, मौर्यालोक शाखा, संतोषा कॉम्प्लेक्स, ग्राउंड फ्लोर, शॉप नं०– 2A तथा 2B मौर्यालोक, पटना–1 शाखा एवं Indian Bank, बुद्ध मार्ग शाखा, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन परिसर, पटना–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6. डी०डी०आई०टी० (विविध) को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सभी संबंधितों को अवगत कराने हेतु, इसे समिति के **B.S.E.B. Mobile App** पर डाल दिया जाए।

7. वित्त पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक (आई०टी०) तथा परीक्षा नियंत्रक (मा०) को सूचनार्थ प्रेषित।

24/4/26

परीक्षा नियंत्रक (विविध),

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

24/4/26